(25)

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन न्यायाधीश महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर
कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

चन्द्रशेखर प्रसाद शुक्ला तनय स्व0 अम्बर प्रसाद शुक्ला, उम्र--66 वर्ष, पेशा --पेंशनर, निवासी ग्राम व पोस्ट बदरांव गौतमान, तह0 सिरमौर जिला रींवा (म0प्र0)

..................*निगरानीकर्ता*

R-5125-II/17

बनाम

बसंत प्रसाद शुक्ला तनय श्री चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला, उम्र-- 60 वर्ष, पेशा-- खेती, निवासी ग्राम व पोस्ट बदरांव गौतमान, तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0)

..................*गैर निगरानीकर्ता*

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक वृत्त सिरमौर, तह0 सिरमौर जिला--रीवा (म0प्र0) के प्र.क. 60/अ--12/15--16 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू--राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:--

1-- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2-- यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0भू--राजस्व संहिता 1959ई0 के तहत बावत् किये जाने सीमांकन भूमि खसरा क. 60/3 रकवा 0.210 हे0 का न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक, सर्किल सिरमौर, तह0 सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) के समक्ष दिया गया था जिसमें कथित सीमांकन दिनांक 30.07.16 की सूचना निगरानीकर्ता को नहीं दी गई जबकि निगरानीकर्ता सरहदी काश्तकार है इसलिए निगरानीकर्ता को सीमांकन की विधिवत् सूचना होनी चाहिए. इसलिए सरहदी काश्तकार को सूचना दिए बिना किया गया सीमांकन विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5125–दो/17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सत्यदेव दुवे उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 60/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है निगरानी के साथ धारा–5 एवं शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 के तहत सीमांकन खेसरा कमांक 60/3 रकवा 0.210 है0 का राजस्व निरीक्षक सर्किल सिरमौर केसमक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें कथित सीमांकन दिनांक 30.7.16 की सूचना आवेदक को नहीं दी गई जबकि आवेदक सरहदी कास्तकार है इसलिये निगरानीकर्ता को सीमांकन की विधिवत सूचना होनी चाहिये इसलिये सरहदी कास्तकार को सूचना दिये बिना किया गया सीमांकन विधि विरूद्व होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि दिमांक 30.7.16 को किये गये सीमांकन के समय सीमांकन की कार्यवाही में पत्थर भी नहीं गाड़े गये इसलिये निगरानीकर्ता को सीमांकन की कार्यवाही नहीं हो पाई फिर बाद में गांव वालों से पता चला कि किसी दिन पटवारी ग्राम में खेत नाप रहे थे तब	

निगरानीकर्ता तहसील जाकर पता किया जब सीमांकन की जानकारी प्राप्त हुई। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि प्रकरण में धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर निगरानी समय सीमा में मान्य करते हुये आवेदक की निगरानी स्वीकार कर विधि प्रकियां के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही की जावे।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा धारा –5 के आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक का आवेदन समाधान कारक होने से स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया जिसमें स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना नहीं दी गई है और बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही की गई है इसलिये राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 24.9.16 स्थिर रखे जाने योग्य नही है। राजस्व निरीक्षक द्वारा धारा 129 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। "यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक के निर्देश के पालन में 28.7.16 को राजस्व निरीक्षक के आदेशानुसार पटवारी द्वारा सीमांकन किया जिसपर फील्डबुक तैयार की । फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है।

1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– "म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।" इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व निरीक्षक वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 60/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व निरीक्षक वृत्त सिरमौर जिला रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये सीमांकन करने हेतु दल गठित कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य